**ऐतिहासिक परिदृष्य**
                स्वतंत्रता के बाद 22 रियासते, 3 चीफशिप एंव केन्द्र शासित प्रदेश अजमेर-मारवाड के विलय प्रक्रिया के बाद राजस्थान राज्य का गठन हुआ। राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफ़ारिश के आधार पर राजस्थान राज्य का वर्तमान गठन अंतिम तौर पर 1 नवम्बर 1956 को किया गया।

                उक्त क्षेत्र को राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसकी अलग पहचान एंव ऐतिहासिक परम्परा रही हैं। नवगठित राजस्थान रज्य की भौगोलिक स्थिति, राजनैतिक व आर्थिक विकास तथा प्रशासनिक ढाँचें मे कई विभिन्नताएँ व्याप्त थी। उक्त विभिन्नताएं भुमि संबन्धी कानून व भू-प्रशासन में और भी अधिक थी। सम्बन्धित रियासतों द्वारा राजस्व कार्य के लिये अपने अपने कानून थे एंव स्थानीय आवश्यकतानुसार इन कानूनो का विकास हुआ। बडी रियासतें यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा बीकानेर के स्वयं के काश्तकारी व भू-राजस्व कानून थे जब कुछ छोटी रियासतो में ऐसे अलग से अधिनियम नही होने के करण विभिन्न परिपत्रों एंव परम्पराओं के माध्यम से राजस्व सम्बन्धी कार्य किया जाता रहा था। यहां तक कि जैसलमेर जिले में अलग से राजस्व अभिलेख सन्धारित नहीं किया जाता था। जबकि शेष क्षेत्र अन्य ऐजेंसी के माध्यम से प्रशासित था। ऐसी ही परिस्थिति भू-सर्वेक्षण तथा भू-प्रबन्धन में रही व उक्त कार्यवाही भी पुर्ण नही हुई, जो कि कुशल एंव विकसित भू-प्रबन्धन की प्राथमिक आवश्यकता है।

                नवगठित राजस्थान के पूर्व भू-अधिकारिता एंव भू-राजस्व की व्यवस्था सामंतशाही थी। बिचौलिये तथा जागीरी प्रथा राजस्व व्यवस्था मे परिलक्षित रहीं। काश्ताकारों के अधिकार संहिताकारित व परिभाषित नहीं थे। उनसे कई प्रकर के लगान व फीस वसूली जाती थी। बेगार व्यवस्था भी व्याप्त थी।

                जागीरदारी प्रथा प्रचलित रहने से वृहद क्षेत्र मे भूमि के अधिकार कई वर्गीकृत थे, जैसे:- जागीरदार, माफीदार, ईमानदार, दातभरदार इत्यादि। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल क्षेत्र के लगभग 62 प्रतिशत क्षेत्र मे विस्तारित रही। जागीरदारी प्रथा मे भूमि को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया था यथा "खालसा" व "गैर-खालसा"। खालसा क्षेत्र सीधे ही रियासत के नियंत्रण मे था जबकि गैर-खालसा क्षेत्र के अधिसंख्यक कश्तकार जागीरदार की कृपा पर निर्भर थे तथा उनकी काश्तकारी अवधि अनिश्चित होने के साथ ही लगान वसूली में पारदर्शिता का अभाव था। खालसा व गैर- खालसा भूमि की अवधि व राजस्व प्रशासन की स्थिति मे काफी बडा अंतर व्याप्त रहा हैं। जागीरदारी प्रथा के अलावा अन्य प्रकार के बिचौलिये भी जमींदार व बिस्वेदार के रूप में अस्तित्व में थे। ऐसी प्रथा 8 जिलों के 4870 ग्रामों में प्रचलित थी।

                जागीरदार द्वारा राज्य को निश्चित भुगतान अपनी जागीर के संबन्ध में अदा की जाती थी। इसी प्रकार जमींदार व बिस्वेदार द्वारा भी निश्चित भू-राजस्व राज्य को अदा किया जाता था। उनको यह स्वतंत्रता थी, की वे कास्तकार से मनमर्जी का लगान वसूल कर सकते थे।

                भूमि का ज्यादातर मालिकाना हक राज्य/ जागीरदारो/ठिकानेदारों के हक में था एंव आम काश्तकार उनसे भूमि प्रप्त कर काश्त कर अपना जीवन यापन करता था।